

रिजस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2008-10 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 29 अगस्त, 2008 भाद्रपद 7, 1930 शक सम्वत्

#### उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1737 / 79—वि—1—08—1(क)25-2008 लखनऊ, 29 अगस्त, 2008

> अधिसूचना -----विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 28 अगस्त, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है:—

> उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2008

> > (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2008) (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 का अग्रतर संशोधन के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसटवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

- 1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संक्षिप्त नाम और संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।
  - (2) यह 1 जनवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007 का सामान्य संशोधन 2- उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 में, शब्द और अंक ''उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर आध्यादेश, 2007'' जहाँ-जहाँ भी आये हों, के स्थान पर शब्द और अंक ''उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008'' रख दिये जायेंगे।

### उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 1 जनवरी, 2008 के मूल्य संवर्धित कराधान प्रणाली प्रारम्म करने के उद्देश्य से दिनांक 20 दिसम्बर, 2007 को राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 37 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1948) को निरसित कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 में सन् 1948 के उक्त अधिनियम के सन्दर्भ थे। चूँिक सन् 1948 का उक्त अधिनियम उक्त अध्यादेश द्वारा निरसित कर दिया गया था, अतः उक्त अध्यादेश द्वारा उक्त संदर्भों में परिवर्तन करना आवश्यक था। उक्त अध्यादेश द्वारा उक्त सन्दर्भों में परिवर्तन करने के लिए उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 को अधिनियमित किया गया था। चृँकि उक्त अध्यादेश को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 2008) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि सन् 2007 के उक्त अधिनियम को संशोधित करके सन् 2008 के उक्त अधिनियम द्वारा उक्त अध्यादेश के संदर्भों में परिवर्तन किया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

> आज्ञा से, सै0 मजहर अब्बास आब्दी, प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR VIDHAI ANUBHAG-1

No. 1737(2)/LXXIX-V-1-1(ka)25-2008 Dated Lucknow, August 29, 2008

## NOTIFICATION MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sthaniya Kshetra Men Pravesh Par Kar (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 28, 2008:—

# THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS (SECOND AMENDMENT)

ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 25 OF 2008)
[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2007.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas (Second Amendment) Act, 2008.

Short title and commencement

- (2) It shall be deemed to have come into force on January 01, 2008.
- 2. In the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2007, for the words and figures "the Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007" wherever occurring the words and figures, "the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008" shall be substituted.

General

Amendment in U.P. Act no. 30 of 2007

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Value Added Tax Ordinance, 2007 (U.P. Ordinance no. 37 of 2007) was promulgated by the Governor on December 20, 2007 in order to introduce Value Added System of taxation from January 01, 2008 in the State of Uttar Pradesh. The Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948 (U.P. Act no. 15 of 1948) was repealed by the said Ordinance. There were references of the said Act of 1948 in the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2007. Since the said Act of 1948 was repealed by the said Ordinance, it was incumbent to change the said references by the said Ordinance. The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Act, 2008 was enacted to change the said references by the said Ordinance. Since the said Ordinance has been replaced by the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P. Act no. 5 of 2008), it has been decided to amend the said Act of 2007 to change the references of the said Ordinance by the said Act of 2008.

The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas (Second Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order, S.M.A. ABIDI, Pramukh Sachiv.

पी०एस॰यू०पी०—ए॰पी०—469 राजपत्र (हि॰)—2008—(1037)—597 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी॰ / आफरोट) । पी०एस॰यू०पी०—ए॰पी०—100 सा॰ विधायी—2008—(1038)—850 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी॰ / आफसेट) ।